

कार्यालय जिलाधीश, गुरुग्राम ।

आदेश

Executive Engineer T.S Divn. HVPNL, Manesar ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक Ch-24/L-70 दिनांक 05.04.2019 के द्वारा अनुरोध किया है कि Construction work of 220 KV line to supply/feed 220 KV S/Stn. Sec-77, Gurugram at Location No. 8, 10, 10A, 11, 11A, 12, 12A की कार्यवाही की जानी है। जिसमें श्री सुनील यादव व समय सिंह के द्वारा कार्य में बाधा डाली जा रही है। जिसके कारण कार्य को पूर्ण करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कार्य को शांति पूर्वक करने के लिए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए पुलिस सहायता मय महिला पुलिस प्रदान करने की आवश्यकता है।

अतः मै, **अमित खत्री, भा0प्रा10से0, जिलाधीश गुरुग्राम, Executive Engineer, T.S Divn. HVPNL, Manesar** के अनुरोध पर जाबता फौजदारी 1973 of (35) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री महेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार, बादशाहपुर (8168052257/9416319556) को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करता हूं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगें।

हस्ता/-

जिलाधीश, गुरुग्राम।

पृ0 क्रमांक 106 /एम.बी, दिनांक: 8/04/2019

इसकी एक प्रति निम्न अधिकारियों को भेजकर लिखा जाता है कि उक्त स्थान पर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश (Status quo/Stay order) तो नहीं पारित किया गया है अगर है तो न्यायालय के आदेशों की पालना की जावे तथा नियम अनुसार कार्यवाही करने के लिये सम्बन्धित विभाग की जिम्मेवारी होगी।

1. पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम को भेजकर अनुरोध है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट को पुरुष पुलिस मय महिला पुलिस बल प्रदान करने का कष्ट करें।
2. पुलिस उपायुक्त (मु0), गुरुग्राम।
3. उप-मण्डल अधिकारी (ना0), उत्तर-गुरुग्राम।
4. Executive Engineer, T.S Divn. HVPNL, Manesar.
5. नायब तहसीलदार, बादशाहपुर। (ड्यूटी मजिस्ट्रेट)
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गुरुग्राम। (जिला गुरुग्राम की Website पर upload करने बारे)
7. आशुलिपिक उपायुक्त, गुरुग्राम।

कृते: जिलाधीश, गुरुग्राम।